संख्या– 596 58–2010– 10(1)/2001

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
जनपदीय लाईसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह),
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांक 17 फरवरी, 2010

विषयः **कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा शीतगृह में भण्डारण हेतु मनमानी किराया निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कोल्ड स्टोरेज मालिको द्वारा अपने–अपने कोल्ड स्टोरेजों में आलू के भण्डारण हेतु मनमानी तरीके से प्रभार निर्धारित किया जा रहा है, जिससे किसानों में रोष है। कोल्ड स्टोरेज मालिको द्वारा मनमानी तरीके से प्रभार निर्धारित किया जाना युक्तिसंगत नहीं है। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1997 के नियम 29 में निम्नलिखित व्यवस्था है:–

"29 (1) प्रत्येक लाइसेंसधारी समय–समय पर कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिए या उसके संबंध में की गयी किसी अन्य अधिकतम सेवा के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित करेगा और विभिन्न प्रभार कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते है।

(2) प्रत्येक लासेंसधारी उपधारा (1) के अधीन निश्चित प्रभार कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा और उसकी एक प्रति लाइसेंस अधिकारी के कार्यालय में भी देगा।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेंसधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेंसधारी के संबंध में उपधारा (1) प्रयोजनों के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित

प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमें वे निश्चित किये जायें के लिए प्रभावी होंगे।

उपरोक्तानुसार उक्त नियम 29 (3) में उपबन्धित है कि इसमें निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी लाइसेंसधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेंसधारी के संबंध में उपधारा (1) प्रयोजनों के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमें वे निश्चित किये जायें।

अतः आपको अधिकृत किया जाता है कि अपने--अपने जनपद में स्थापित कोल्डस्टोरेज मालिकों की बैठक कर इस बात का परीक्षण कर लिया जाय कि लाइसेंसधारी द्वारा यदि निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त एवं अधिक निर्धारित किया गया हो तो युक्तिसंगत प्रभार निर्धारित करने तथा प्रभार दर लागू कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं उसका प्रचार--प्रसार उचित माध्यम से करायें, ताकि आलू उत्पादक कृषकों को उचित प्रभार निर्धारण से लाभान्वित हो सके।

भवदीय,

(चन्द्रिका प्रसाद तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-596 (1)--58/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(चन्द्रिका प्रसाद तिवारी)
विशेष सचिव।